UPBS010038182026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम, बस्ती।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1173/2026

विकास उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र सूरजू,
साकिन–ग्राम टिकुइया, थाना–पैकोलिया, जनपद–बस्ती।

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–31/2026
धारा–137(2),87 बी०एन०एस०
थाना–पैकोलिया, **जिला**–बस्ती।

दिनांक :–15.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त विकास की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–31/2026, धारा–137(2),87 बी०एन०एस० थाना–पैकोलिया, जिला बस्ती में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक–15.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2– प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मेरा नाम रामकिशोर पुत्र रामलखन ग्रा०– चैनपुर राय पो०– इटवा कुनगाई थाना पैकोलिया जनपद बस्ती का मूल निवासी है, मेरी लडकी सुदंरी जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। ग्राम टिकुड्या निवासी विकास पुत्र सूर्यलाल मेरी लडकी को शादी का झासा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया।

3– जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त मामले में बिल्कुल निर्दोष है। उक्त मामले की पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) प्रथम महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी का यह जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रथम है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में न तो दाखिल है, न ही विचाराधीन है और न ही निर्णीत हुआ है। उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे में मनगढ़न्त कथनो पर 26 लिखायी गई है, जिसमें रंचमात्र सच्चाई नही है। उक्त मामले की पीड़िता ने मामले की अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया है। उक्त मामले के अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में अभियोजन कहानी का विरोध करते हुए कथन किया है कि "तथाकथित मामले के अभियुक्त से उसकी मुलाकात सहेली के शादी समारोह में हुई थी। उसी में मोबाइल नंबर का आदान–प्रदान हुआ था, दिनांक 10.03. 2026 को तथा

Digitally signed by VIRAT SHIROMANI
Date: 2026.07.16 09:52:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में अभियुक्त से फोन पर बात कर रही थी तो भाई ने मारकर घर से निकाल दिया, जिससे वह विकास के घर स्वयं चली गई तथाकथित मामले के अभियुक्त द्वारा तथाकथित मामले की पीड़ित को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर, विधिक अभिरक्षा से पीड़िता को कभी नही भगाया है, जबकि सत्यता यह है कि पीड़िता के सगे भाई द्वारा मारपीटकर घर से भगा देने के कारण वह स्वयं घर से बाहर निकली थी। प्रार्थी विगत लगभग 4 माह से जिला कारागार में निरूद्ध है, प्रार्थी सम्भ्रांत परिवार का समाज में ख्याति रखने वाले परिवार का व्यक्ति है। प्रार्थी मामले में जमानत देने को तैयार है गवाहान मफरूरी की रंचमात्र सम्भावना नही है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त मानने के लिए तैयार है। ऐसी दशा में प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उपरोक्त कथन करते हुये प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अपराध गम्भीर प्रकृति का एक सामाजिक अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

6– आवेदक/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसको बहला–फुसलाकर भगा ले गया। उल्लेखनीय है कि जमानत के इस स्तर पर न्यायालय द्वारा मात्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही आवेदक/अभियुक्त की अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता के बावत निष्कर्ष निकालना होता है। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा–180 बीएनएसेस में कथन किया गया है कि दिनांक 25.11.2025 को मेरी सहेली की शादी में विकास आया था मेरी सहेली की शादी में मुझे नम्बर दिया मै वही से बात करने लगी। जब मेरे घर मेरी माँ–पिता–भाई को पता चला तो वे मुझे मारने पीटने लगे व मुझे घर से भगा दिये मैं सुबह करीब 4 बजे दिनांक 10.03.2026 को अपने घर से विकास के घर चली गयी। विकास मेरे साथ कभी शारीरिक सम्बन्ध नही बनाया और मैं विकास से शादी करना चाहती हूं। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा–183 बीएनएसएस में कथन किया गया है कि मेरी उम्र 17 वर्ष है मै कक्षा 10 तक पढी हूं। दिनांक 25.11.2025 को मेरी सहेली की शादी में विकास आया था मेरी सहेली की शादी में मुझे नम्बर दिया मै वही से बात करने लगी। इसी महिने से सुबह करीब 3 बजे मैं विकास से बात कर रही थी मम्मी पापा और भाई ने मुझे बात करते हुए देख लिया मेरी फोन मेरे भाई ने छीन लिया मेरी भाई मुझे मारा भी गुस्सा होकर मैं विकास के घर सुबह 4 बजे चली गयी। मैं अपने मर्जी से विकास के घर गयी थी। विकास के घर पर उसकी माँ, पापा और बहन थे विकास मेरे साथ कोई गलत काम नही किया विकास ने मुझे अपने घर नही बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से उसके घर गयी थी। पीड़िता के बयान धारा 180 एवं धारा 183 बीएनएसएस से विदित होता है कि पीडिता स्वंय से अपनी मर्जी से विकास के घर गयी थी। पत्रावली पर अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दाखिल नही किया गया है।

7– उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, जिला कारागार में उसकी निरूद्धता व केसडायरी में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विकास द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा उसे जमानत पर रिहा किया जाता है :

1. यह कि अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. यह कि अभियुक्त समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगा।
3. यह अभियुक्त दौरान विचारण देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
4. यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा।

दिनांकः–15.07.2026

विराट शिरोमणि
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित गति न्यायालय प्रथम, बस्ती।
JO CODE– UP1869